



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2020
कार्तिक 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-5

संख्या 885/एक-5-2020-53-2020
लखनऊ, 23 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-285

चूँकि नीचे अनुसूची में वर्णित 2.501 हेक्टेयर भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् सुनियोजित विकास स्कीम के अधीन कांट के लोगों के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए आवश्यकता थी और जिसका अर्जन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 17 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 6 के अधीन अधिसूचना संख्या 2028/1-5-2010-17-2010, दिनांक 12 अगस्त, 2010 जारी की गयी थी;

और, चूँकि, उपर्युक्त भूमि जिसका कब्जा ग्रहण नहीं किया गया है, यथा पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ अब अपेक्षित नहीं रह गयी है;

अतएव, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 93 की उपधारा (1) के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उसका अर्जन करने से प्रत्याहृत करती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील/परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
मुरादाबाद	कांट	माननगर उर्फ कांट	304	2.501

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा मुरादाबाद के कलेक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 885/ I-5-2020-53-2020, dated October 23, 2020 :

No. 885/ I-5-2020-53-2020

Dated Lucknow, October 23, 2020

WHEREAS the land measuring 2.501 Hectares described in the Schedule below was needed for public purpose, namely for construction of residential building for the people of Kanth under planned development scheme, and for the acquisition whereof notification no. 2028/1-5-2010-17-2010, dated August 12, 2010 under section 6 *read* with sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) was issued by the State Government;

AND, WHEREAS, the above mentioned land the possession of which has not been taken, is no longer required for the purpose as aforesaid;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 48 of the aforesaid Act *read* with sub-section (1) of section 93 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to withdraw the land mentioned in the Schedule below from the acquisition thereof.

SCHEDULE

District	Tehsil/Pargana	Mauza	Plot no.	Area (In Hect.)
1	2	3	4	5
Moradabad	Kanth	Mannagar <i>Urf</i> Kanth	304	2.501

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector/Land Acquisition Officer, Moradabad.

By order,
RENUKA KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 344 राजपत्र-2020-(808)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 7 सा0 राजस्व-2020-(809)-580 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।